न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(समदर सिंह भाटी आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई द्वारा अध्यासित)

दावा संख्याः– 170/2014

निर्णय दिनांकः– 6/2/24

1 मूर्ति मन्दिर श्री सालगराम जी महाराज नाबालिग जरिये सरपरस्त संरक्षक पुजारी वादमिल सुरजमल पुत्र कल्याण ब्रहमण निवारसी खेडी रामसिंहपुरा तहसील निवाई
2 चांदमल पुत्र जगन्नाथ ब्राहमण निवासी खेडी रामसिंहपुरा तहसील निवाई

– वादीगण

बनाम

1. रामनिवास पुत्र चन्दा मीणा निवासी रामसिंहपुरा तह0 निवाई जिला टोंक
2. मडया पुत्र चन्दा मीणा निवासी रामसिंहपुरा तह0 निवाई जिला टोंक
3. गुडडी पुत्री जगदीश मीणा निवासी रामसिंहपुरा तह0 निवाई जिला टोंक
4. ममता पुत्री जगदीश मीणा निवासी रामसिंहपुरा तह0 निवाई जिला टोंक
5. फुला बेवा जगदीश मीणा निवासी रामसिंहपुरा तह0 निवाई जिला टोंक
6. छीतर पुत्र लाला मीणा निवासी रामसिंहपुरा तह0 निवाई जिला टोंक
7. सन्तो पुत्र लाला मीणा निवासी रामसिंहपुरा तह0 निवाई जिला टोंक
8. जडाव बेवा गोमा मीणा निवासी रामसिंहपुरा तह0 निवाई जिला टोंक
9. लक्ष्मण पुत्र गोमा मीणा निवासी रामसिंहपुरा तह0 निवाई जिला टोंक
10. रमेश पुत्र गोमा मीणा निवासी रामसिंहपुरा तह0 निवाई जिला टोंक
11. हरिराम पुत्र गोमा मीणा निवासी रामसिंहपुरा तह0 निवाई जिला टोंक
12. पप्पू उर्फ दयाराम पुत्र गोमा मीणा निवासी रामसिंहपुरा तह0 निवाई जिला टोंक
13. रामकन्या पुत्री गोमा मीणा नाबालिग सरपरस्त माता बेवा जडाव मीणा निवासी रामसिंहपुरा तह0 निवाई जिला टोंक
14. शाखा प्रबं. यूनियन बैकं आफ इण्डिया शाखा सिरस तह0 निवाई जिला टोंक
15. तहसीलदार निवाई जिला टोंक
16. उपपंजीयक निवाई

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः–1. श्री रामावतार शर्मा वकील वादीगण
2. श्री गिरधर सिंह

निर्णय

वाद वादीगण संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि ग्राम खेडी रामसिंहपुरा तहसील [नि]वाई में भगवान श्री सालगराम जी महाराज का मन्दिर है वादीगण उक्त मूर्ति मन्दिर की [दे]खभाल व सार सम्भाल पूजा अर्चना बहैसियत पुजारी करते चले आ रहे है सालगराम जी [मह]राज नाबालिग होने के कारण बतौर नेस्ट फेन्ड्र वाद मित्र पुजारी की ओर से वाद प्रस्तुत [कि]या जा रहा है जिसके लिए नियमानुसार आदेश 32 सीपीसीके तहत वाद प्रस्तुत करने की

अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र वाद पत्र के साथ पेश किया जा रहा है वादीगण को उक्त वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है

मन्दिर मूर्ति सालगराम जी महाराज के खातेदारी व कब्जेकाश्त की वर्णित भूमि ख0न0 25 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम रामसिंहपुरा तहसील निवाई में स्थित है जिस पर वादीगण नेस्ट फेन्ड्स की हैसियत से सालगराम जी महाराज की खातेदारी की भूमि पर काबिज काश्त कार चले आ रहे है। भूमि को मौके पर काश्त कर मूर्ति मन्दिर के कार्य व उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है उपरोक्त वर्णित भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व मूर्ति मन्दिर श्री सालगराम जी महाराज के नाम बतौर खातेदारी कब्जे काश्त में दर्ज इन्द्राज थी किन्तु दौरान सेटलमेन्ट राजस्व कर्मचारीयो द्वारा बिना किसी वैध अधिकर व सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना मूर्ति मन्दिर सारस्वत नाबालिग की भूमि को प्रतिवादीगण के नाम दर्ज इन्द्राज कर दिया जो कि विधि विरूद है सेटलमेन्ट के दौरान उक्त मूर्ति मन्दिर की भूमि को किसी भी व्यक्ति के हक में खातेदारी प्रदान करने का कोई वैध हक व अधिकार प्राप्त नही है उक्त राजस्व रिकार्ड प्रारम्भ से ही शुन्य एवं प्रभावहीन है ऐसी स्थिति में वर्णित भूमि ख.न. 25/1 रकबा 15 बिस्वा ख.न.25/2 रकबा 15 बिस्वा कुल रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम रामसिंहपुरा तह. निवाई को मूर्ति मन्दिर श्री सालगराम जी महाराज को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बतौर संरक्षक व्यवस्थापक वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राज किया जाकर दुरूस्ती किया जाना विधिसंगत है

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन के की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 व 13 की ओर से श्री गिरधर सिंह एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया, प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 व 13 को बार बार आवाज लगाये जाने के बाद भी हाजिर नही अतः प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 1 ता 1 व 13 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 12 का नाम हजब किया गया

साक्ष्यवादी:– वकील वादी की ओर से साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पी. डबलु –1 सुरजमल शर्मा पी. डबलु– 2 चांदमल शर्मा व कजोड व रामकरण के शपथ पत्र पेश किये गये।

वकील वादी की वाद पत्र पर बहस एकतरफा सुनी गयी। बहस में प्रस्तुत वाद का दोहरान करते हुये वकील वादी ने बताया कि मन्दिर मूर्ति सालगराम जी महाराज के खातेदारी व कब्जेकाश्त की वर्णित भूमि ख0न0 25 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम रामसिंहपुरा तहसील निवाई में स्थित है किन्तु दौरान सेटलमेन्ट राजस्व कर्मचारीयो द्वारा बिना किसी वैध अधिकर व सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना मूर्ति मन्दिर सारस्वत नाबालिग की भूमि को प्रतिवादीगण के नाम दर्ज इन्द्राज कर दिया जो कि विधि विरूद है सेटलमेन्ट के दौरान उक्त मूर्ति मन्दिर की भूमि को किसी भी व्यक्ति के हक में खातेदारी प्रदानर करने का कोई वैध हक व अधिकार प्राप्त नही है उक्त राजस्व रिकार्ड प्रारम्भ से ही शुन्य एवं प्रभावहीन है. वर्णित भूमि ख.न. 25/1 रकबा 15 बिस्वा ख.न.25/2 रकबा 15 बिस्वा कुल रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम रामसिंहपुरा तह. निवाई को मूर्ति मन्दिर श्री सालगराम जी महाराज को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बतौर संरक्षक व्यवस्थापक वादीगण के नाम

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राज किया जाकर दुरूस्ती अनुरूप राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जावें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय वाद वादीगण को स्वीकार करना उचित समझता है, तथा वादी को वर्णित भूमि ख.न. 25/1 रकबा 15 बिस्वा ख.न.25/2 रकबा 15 बिस्वा कुल रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम रामसिंहपुरा तह. निवाई को मूर्ति मन्दिर श्री सालगराम जी महाराज को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बतौर संरक्षक व्यवस्थापक वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राज किया जाकर दुरूस्ती अनुरूप राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जावें।

पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 6/2/24 को सुनाया गया।

(समदर सिंह भाटी)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक), निवाई

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(समन्द्र सिंह भाटी, आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई द्वारा अध्यासित)

(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

दावा संख्याः– 170/2014

निर्णय दिनांकः– 6/2/24

उनवान

मूर्ति मन्दिर सालगराम जी बनाम रामनिवास

दावा बाबत उद्घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू समन्द्र सिंह भाटी ब हाजरी श्री रामावतार शर्मा वकील वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता वादी को वर्णित भूमि ख.न. 25/1 रकबा 15 बिस्वा ख.न.25/2 रकवा 15 बिस्वा कुल रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम रामसिंहपुरा तह. निवाई को मूर्ति मन्दिर श्री सालगराम जी महाराज को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बतौर संरक्षक व्यवस्थापक वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राज किया जाकर दुरूस्ती अनुरूप राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 6 माह 2 सन् 2024 को जारी की गई।

(समदर सिंह भाटी)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक), निवाई

Scanned with OKEN Scanner